

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
REVENUE DEPARTMENT, 5 SHAM NATH MARG, DELHI

No. F.1(423)/Regn.Br./HQ/Div.Com./10

Dated

NOTIFICATION

No. F.1(423)/Regn.Br./HQ/Div.Com./10:- In exercise of the powers conferred by section 9 of the Indian stamp Act, 1899 (2 of 1899) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification SO 1726 (No. F.2/5/61-Judl-II) dated the July 22, 1961 and with the approval of Government of India, Ministry of Home Affairs, as communicated vide letter NO. U-11019/8/2010-UTL dated March 16, 2011, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to withdraw the notification No. 1 dated January 16, 1937 issued by the then Governor- General in Council under the Indian Stamp Act, 1899, with immediate effect.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Dharmendra)
Secretary (Revenue)

No. F.1(423)/Regn.Br./HQ/Div.Com./10 1266

Dated 11/6/11

Copy to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV(extraordinary) in today's date.
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
3. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Finance, Deptt. of Revenue, Jeevan Deep Building, New Delhi.
4. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Pr. Secretary(Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi
- ✓ 6. Divisional Commissioner, Delhi
7. System Analyst, Revenue Department, GNCT of Delhi with the request to upload the same on the web site of Revenue Department.
8. Guard file.

(Dharmendra)
Secretary (Revenue)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
राजस्व विभाग
5-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली -54

सं.फा. 01(423)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/10/

दिनांक:

अधिसूचना

सं.फा. 01(423)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/10/: -गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 22 जुलाई, 1961 की अधिसूचना एस0ओ0 1726 (सं0फा0 2/5/61-न्याय-11) के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से, जैसे दिनांक 16 मार्च, 2011 के पत्र संख्या यू 11019/8/2010-यू0टी0एल0 के अनुसार सूचित किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत तत्कालीन गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा जारी दिनांक 16 जनवरी, 1937 की अधिसूचना सं0 1 को तत्काल प्रत्याहार करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(धर्मेन्द्र)
सचिव (राजस्व)

सं.फा. 01(423)/पंजी0 शाखा/मुख्या0/मंडली0आयु0/10/

दिनांक:

प्रतिलिपी निम्न को अग्रसारित :-

- 1 प्रधान सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- 2 सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 3 सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्व विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
- 4 सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
- 7 सिस्टम विश्लेषक, राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जाता है कि इसे राजस्व विभाग की वेबसाइट पर डालिए।
- 8 गार्ड फाइल।

(धर्मेन्द्र)
सचिव (राजस्व)